भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3175

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

अल्पसंख्यक संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन

3175. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने और मजबूत करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसे क्षेत्रों में निर्मित/संवर्धित स्कूल भवनों, छात्रावासों, आईटीआई, कौशल केंद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष संदर्भ में, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के लिए अलग से आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS), प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जिसके तहत चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। पीएमजेवीके के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि हैं। योजना के तहत परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकार/ और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विचार और अनुमोदन किया जाता है।

उक्त परियोजनाएं, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा प्रारूपित/तैयार किया जाता है।

संबंधित राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं, छात्रावासों, कंप्यूटर साक्षरता केंद्रों/डिजिटल शिक्षा केंद्रों, स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं मूलभूत बुनियादी समर्थन बुनियादी ढांचे, पेयजल इकाइयों, स्कूलों में शौचालयों, स्लो लर्नर केंद्रों, डिग्री कॉलेजों, तकनीकी अध्ययन के उच्च संस्थान मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज आदि का निर्माण जैसी परियोजनाओं को पीएमजेवीके के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान PMJVK के तहत 38-स्कूल भवन, स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए 50-छात्रावास, 8-आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और 9-कौशल केंद्रों को मंजूरी दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में 426- अतिरिक्त कक्षाएं/ पुस्तकालय/प्रयोगशालाएँ/ स्कूलों में हॉल, 19-स्मार्ट क्लासरूम/कंप्यूटर लैब/स्कूलों में शिक्षण सहायक सामग्री, स्कूल में 4208-अन्य बुनियादी ढाँचे और 272-स्वास्थ्य परियोजनाएँ अनुमोदित हैं।

(घ): पश्चिम बंगाल राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के तहत आवंटित बजट और वास्तविक व्यय इस प्रकार हैं:

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान (BE)**	**संशोधित अनुमान (RE)**	**वास्तविक व्यय (AE)**	**पश्चिम बंगाल राज्य के लिए जारी राशि**
2020-21	1600.00	971.38	1091.94	207.37
2021-22	1390.00	1199.55	1266.87	38.52
2022-23	1650.00	500.00	222.66	शून्य राज्य सरकार के पास उनके एसएनए खाते में 179.17 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि

*****